न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :– 5 .5.2022

क्रमांक /रीडर/ 2022/245

मुकदमा नंबर 153/2021

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नेमीचन्द पुत्र मूलचन्दजी 2. बाबुलाल पुत्र मूलचन्दजी 3. सुरेन्द्र कुमार मूलचन्दजी 4. 3/1– नितेश कुमार पुत्र स्व. सुरेन्द्र कुमारजी 5. मनोहरलाल पुत्र मूलचन्दजी 6. भंवरीदेवी पत्नी मूलचन्दजी 7. फतेहचन्द पुत्र मीठालालजी जातियान ओसवाल सभी निवासीयान बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)		1. चम्पालाल पुत्र केसारामजी माली निवासी उप तह0 कार्यलय के पास, बालोतरा 2. भोपालसिंह पुत्र जवारसिंह 3. हरीसिंह पुत्र जवारसिंह 4. जबरसिंह पुत्र जवारसिंह सभी जातियान राजपुरोहित निवासी खेतेश्वर कॉलोनी बालोतरा। 5. बाबुसिह पुत्र नेनाराम जाति राजपुरोहित निवासी सिहों का वास छतरियों का मोर्चा, बालोतरा 6. राजस्थान सरकार (भूमिधारक जरिये तहसीलदार) पचपदरा

आदेश दिनाक :– 4.5.2022

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा बालोतरा प्रथम पटवारी क्षेत्र बालोतरा भू–निरीक्षक बालोतरा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 811 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा व खसरा संख्या 1634/810 रकबा 4 बीघा 11 विस्वा कुल रकबा 06 बीघा 06 विस्वा भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आई हुई है। उक्त आराजी में विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने जबाब पेश कर जाहिर किया की खसरा संख्या 810 नये खसरा संख्या 1634/810 की तरमीम वर्तमान लटटा ट्रेस नक्शा में अशुद्व है, प्राथीगण के कथानानुसार खसरा संख्या 810 के पुराने खसरा सं. 419 है, यह स्वीकृत तथ्य है, कि पुराने खसरा संख्या 419 का कोई भाग सरहद जसोल से सीधा नही मिलता था, किन्तु वर्तमान में कथित खसरा संख्या 810 की भूमि विप्रार्थीगण 1 ता 4 के खातेदारी की पुराने खसरा संख्या 426 की भूमि का भाग खसरा सं. 810 में मिला दिया, जो गलत है, जिसकी दुरस्ती हेतु जुदागाना कार्यवाही जारी है। ऐसी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है, ऐसी भूमि की तरमीम नक्शा लटटा ट्रेस में अशुद्व है, जिसकी कार्यवाही जैर तजवीज है, ऐसी स्थिति में अशुद्व तरमीम के आधार पर कोई नेखमबंदी का ओदश विधिनुसार जारी नहीं हो सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:20:49 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां वर्तमान राजस्व रेकर्ड के विपरीत होने से अस्वीकार की जाती है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

दिनांक :– 4/5/22

क्रमांक /रीडर/ 2022/245

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे,साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी,

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:20:49 IST
Reason: SelfAttested